FORM NO- 10

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

कालूराम बनाम उप तहसीलदार

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र स्थगन मु0न0 50/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर वतारीख अहकामजो इस हुक्मकी तामील में जारी हुए
04.10.2017	अपीलांट की ओर से वकील श्री रामेश्वरलाल बिजारणिंया उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा मु.न. 99/2017 अनुवानी सरकार बनाम कालूराम में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2017 की कियान्विति स्थगित रखी जाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से सहमत होने पर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि न्यायालय उप तहसीलदार अजीतगढ़ के निर्णय दिनांक 17.07.2017 की आगामी तारीख पेशी 26.10.2017 तक कियान्विति स्थगित रखी जावे। आदेश एवं नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.10.2017 को पेश हो।	
26/10/17	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी को जारी नोटिस पर विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित। मूल पत्रावली के साथ दि. 26/12/17 को पेश हो।	
26/12/17	वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आमन्दा मूल पत्रावली के संलग्न दिनांक 10/01/18 को पेश हो।	
10/01/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। मूल पत्रावली के साथ दि. 17/01/18 को पेश हो।	
17/1/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली मूल अपील के साथ दि. 29/1/18 को पेश हो।	
29/1/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र से संबंधित अपील का निस्तारण हो चुका है अब प्रार्थना पर स्थगन का कोई औचित्य नहीं रहा है अतः प्रार्थना-पत्र स्थगन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील मूल अपील के संलग्न रहे।	

Web Copy Not Official